संख्या- 26/2020/428/38-6-2020-428एलसी/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

ग्राम्य विकासअनुभाग-6 लखनऊःदिनांक दिसम्बर, 2020

विषयः प्रवासी श्रमिकों को कौशल विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से जोड़े जाने के संबंध में।

महोदया,

अवगत कराना हैं कि लॉकडाउन की अवधि में बड़ी संख्या में (लगभग 35 लाख से अधिक) श्रमिक प्रदेश में वापस लौटकर आये हैं। उन्हे रोजगार से जोड़ा जाना है और यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। लॉक डाउन से उत्पन्न हुई आर्थिक गतिविधियों में ठहराव एवं बड़ी संख्या में वापस आए कामगारों को प्रदेश के विकास में नियोजन के लिए प्रदेश सरकार दृढसंकल्पित है तथा सभी संभावित क्षेत्रों में कार्य भी किया जा रहा है।

2- प्रदेश में वापस आए हुए कामगारों में 34.82 लाख का स्किल मैपिंग किया गया है (**प्रति संलग्न**) साथ ही इनकी योग्यता एवं स्किल के अनुसार प्रदेश के विकास में इनका योगदान लिया जा सके, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।

3- यह भी अवगत कराना है की लगभग 18.10 लाख प्रवासी श्रमिक अकुशल श्रेणी मे पाये गए हैं, जिनके कौशल विकास एवं प्रमाणीकरण की अवयशकता है, जिससे इनको रोजगार तथा आजीविका से जोड़ा जा सके जिससे कि ये लोग अपनी आजीविका का प्रबंध सुचारु रूप से कर सकें। साथ ही कुशल प्रवासी श्रमिकों को **Recognition of Prior Learning (RPL), Up-Skilling एवं Re-Skilling** जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है। आपसे अपेक्षा है कि उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं मे इन प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने की आवश्कता है तथा ट्रेनिंग की योजनाओं के प्रचार प्रसार मे प्रवासी श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।

4- प्रदेश के समस्त जनपदों मे जनपद स्तरीय कौशल विकास समिति द्वारा जनपद स्तर पर तैयार की जाने वाली कार्ययोजनाओं मे प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना को समावेशित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करना नितांत आवश्यक होगा तथा उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों मे प्रवासी श्रमिकों को भी शामिल किया जाय ताकि शासन की अपेक्षानुसार कार्य क्रियान्वित किया जा सके|

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने Portal/s पर प्रशिक्षु नामांकन फार्म मे संशोधन करते हुए 'प्रवासी श्रमिक' विकल्प को जोडा जाए ताकि इनकी प्रगति की निगरानी की जा सके। उपरोक्त पर कृत कार्यवाही तथा प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण एवं उनके रोजगार संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 26(1)/2020/428/38-6-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
3- समस्त उपायुक्त, एसआरएलएम उ0प्र0।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-428/38-6-2020/428एलसी/2020, दिनांक दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

क्रम संख्या	सैक्टर-स्किल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल
	योग	**3151765**	**328921**	**1635**	**3482321**
1	निर्माण कार्य	1038331	84362	332	1123025
2	पेंटिंग व कोटिंग	84949	937	17	85903
3	कृषि कार्य	72389	5040	39	77468
4	हस्तकला एवं कालीन	68780	5079	26	73885
5	आटोमोबाईल	62623	1319	23	63965
6	फर्नीचर एवं फिटिंग	62063	1285	21	63369
7	इलेक्ट्रोनिक एवं हार्डवेयर	33763	826	10	34599
8	कैपिटल गूड्स (पूंजीगत वस्तुये)	29068	514	11	29593
9	पर्यटन एवं आतिथ्य	20693	6863	23	27579
10	पाईप फिटिंग (प्लम्बिंग)	12419	263	1	12683
11	घरेलू कामकाज	7559	3385	10	10954
12	सौन्दर्य एवं तंदुरुस्ती	8405	1855	9	10269
13	तकनीकी कार्य (आई टी आदि)	7995	665	11	8671
14	सुरक्षा (सुरक्षा गार्ड्स आदि)	8472	156	0	8628
15	बैंकिंग एवं वित्त	7638	486	8	8132
16	खाद्य प्रसंस्करण	3731	262	2	3995
17	लोजिस्टिक (संचालन एवं व्यवस्थएँ)	3172	193	2	3367
18	रत्न एवं आभूषण	2540	88	1	2629
19	जीवन विज्ञान (दवाई फर्मास्युटिक्ल्स आदि)	2407	169	1	2577
20	स्वास्थ्य रक्षा	1378	350	1	1729
21	खनन कार्य	1479	63	0	1542
22	फुटकर व्यवसाय	11791	345	1	12137
23	चमड़ा कार्य	1049	48	0	1097
24	परिधान एवं होम फर्नीशिंग	1026	61	0	1087
25	खेल कूद	953	34	0	987
26	आधारभूत यंत्र (भारी यंत्र क्रेन आदि)	801	31	0	832
27	मीडिया एवं मनोरंजन	471	16	1	488
28	ऊर्जा (विद्युत एवं विद्युतउपकरण आदि)	433	10	0	443
29	अन्य सेक्टर	550	11	0	561
30	अकुशल कामगार	1594837	214205	1085	1810127
	योग	**3151765**	**328921**	**1635**	**3482321**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।